(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2074-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-6-2014 - पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी - प्र0क0 84/2013-14 अपील

1- रामरतन पुत्र शिवदयाल लोधी
2- श्रीमती कल्ली पत्नि रामरतन
दोनों निवासी ग्राम टौढ़ा पिछोर
तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---आवेदकगण

विरूद्ध

सीताराम पुत्र राधेलाल जाटव
ग्राम टोड़ा पिछोर तहसील करैना
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

<u>आ दे श</u>

(आज दिनांक 07 फरवरी 2015 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 84/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-6-14 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार करैरा ने प्रकरण क्रमांक 172/2001-02 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2002 से ग्राम टोड़ा स्थित शासकीय भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का निम्नानुसार व्यक्तियों के हित में आवंटन/व्यवस्थापन किया :-

नाम हितधारी	भूमि सर्वे क्रमांक	रकबा हैक्टर में
1- रामरतन पुत्र शिवदयाल	1080/1	1.00
2- बालमुकेश पुत्र गंगाराम	575 मिन	1.00
3- श्रीमती पुष्पा पत्नि विजयप्रताप सिंह	575 मिन	1.00

इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपील कमांक 84/2013-14 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 17-6-14 से अपील स्वीकार की गई एंव तहसीलदार का बंटन आदेश दिनांक 30.9.2002 निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का 2-10-11984 के पूर्व से कब्जा चला आ रहा है जिसके कारण उन्हें भूमि व्यवस्थापित की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने गलत ढंग से भूमि व्यवस्थापन निरस्त किया है। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि भूमि का व्यवस्थापन नहीं हुआ है अपितु स्वतंत्र रूप से बन्टन किया गया है जो नियम विरूद्ध है।

तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 172/2001-02 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी करैरा के प्रकरण में संलग्न है, का अवलोकन किया गया। इस आदेश में अंकित है कि कलेक्टर शिवपुरी के प्र.क. 382/98-99 अ 59 में पारित आदेश दिनांक 30-4-02 से वादग्रस्त भूमि चरनोई एंव बीड़ से काविलकास्त की गई है। पटवारी ने रिपोर्ट में बताया है कि आवेदक सामान्य वर्ग के है एंव भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं अतः ग्राम टोड़ की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1080/1 एंव 575 को नीचे लिखे निम्न भूमिहीन व्यक्तियों को बंटित की जाकर व्यवस्थापन किया जाता है। भूमि का व्यवस्थापन राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत उन्हीं पात्र कृषकों को किया जाता है जिनकी भूमि व्यवस्थापित की जाने वाली भूमि से लगी हुई हो तथा इस नियम के अंतर्गत 0.500 हैक्टर से अधिक भूमि के व्यवस्थापन पर रोक है, जबकि उक्तांकित प्रत्येक व्यक्ति को 1.00 हैक्टर भूमि बंटित की गई है

स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30.9.02 से भूमि व्यवस्थापन न करके स्वतंत्र रूप से भूमि का बन्टन किया है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के आदेश के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने तहसीलदार के प्रकरण के परीक्षण पर पाया है कि तहसीलदार ने भूमि बन्टन के पूर्व इस्तहार का प्रकाशन समुचित ढंग से नहीं किया है। ग्राम के पटवारी से भूमि की मौके की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं ली गई, वरण् प्रकरण में स्वस्तर से पटवारी से रिपोर्ट लेना अंकित कर लिया। बालमुकेश पुत्र गंगाराम को भूमि का बन्टन किया गया है जबकि इस पक्षकार ने तहसीलदार को भूमि बन्टन हेतु आवेदन पत्र भी नहीं दिया है। वर्ष 2001-02 के खसरे में उपरोक्त में से किसी का भी कब्जा अंकित होना नहीं पाया गया है परन्तु 2-10-84 से कब्जा होना किस आधार पर माना है प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित नहीं है। तहसीलदार व्दारा भूमि बन्टन/व्यवस्थापन में इस प्रकार की गंभीर अनियमितातायें करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी, करैरा ने प्रकरण क्रमांक 84/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-6-14 से तहसीलदार करैरा के बन्टन आदेश दिनांक 30.9.2002 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के आदेश दिनांक 17-6-14 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 84/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-6-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर